(39)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2017 R 998- M-17

कमल सिंह आ. श्री देवी सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम रसुलपुरा कृषक ग्राम कासमपुरा तहसील
आष्टा जिला सीहोर।.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ।.....रेस्पांण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28/02/2017 प्रकरण कमांक 1/अ-76/16-17 (म0प्र0 शासन विरूद्ध कमल सिंह) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, आष्टा द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. **प्रकरण कमांक 1/अ-76/16-17 म0प्र0 शासन विरूद्ध कमल सिंह) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, आष्टा**

02. **कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग आष्टा के पास उपलब्ध संपूर्ण प्रकरण की नस्ती।**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय, आष्टा के द्वारा विधि एवं प्रकिया के विपरीत जाकर दिनांक 21/12/2016 को विधि एवं प्रकिया एवं राजस्व न्यायालय की प्रकिया के विपरीत जाकर म.प्र.भू.रा.सं. की धारा के विपरीत जाकर मांग सूचना पत्र 11,60,441/-रूपये का प्रस्तुत किया गया एंव जिसके माध्यम से म.प्र.वि.वि.कंपनी के द्वारा वसूली की कार्यवाही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 998–दो/2017 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–06–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार आष्टा के प्रकरण कमांक 01/अ–76/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने वरिष्ठ न्यायालय के स्थगन न होने से कार्यवाही को निरंतर रखते हुये बकायादार की चल अचल सम्पत्ति कुर्क किये जाने हेतु पटवारी से संपत्ति की जानकारी लिये जाने के निर्देश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	